भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *486
04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

***486. श्री अजय भट्टः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता के क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा कवर की कितनी राशि निर्धारित की गई है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

04 अप्रैल, 2025 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.486 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसमें 1961 चिकित्सा-प्रक्रियाओं के साथ 27 विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञताओं में मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या हेतु अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत पात्रता मानदंडों में समय के साथ बदलाव हुए हैं। जनवरी 2022 से, एबी-पीएमजेएवाई के लाभार्थी आधार को 10.74 करोड़ परिवारों से बढ़ाकर 12 करोड़ परिवार कर दिया गया है, जिसमें सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) आदि जैसे विभिन्न डेटाबेस के आधार पर पात्र परिवारों को शामिल किया गया है।

मार्च 2024 में, इस योजना के तहत पात्रता मानदंडों का विस्तार करके 37 लाख मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशाकर्मी), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू), आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्यूएच) और उनके परिवारों को शामिल किया गया है। हाल ही में, इस योजना का विस्तार करके आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से 4.5 करोड़ परिवारों से संबंधित 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, शामिल किया गया है।

एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने वाले कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने गैर-एसईसीसी डेटा स्रोतों (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राज्य विशिष्ट डेटासेट सहित) का उपयोग करके योजना के तहत लाभार्थी आधार का और विस्तार किया है।

******